बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 सत्र- 189वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 24.7.2018 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.50 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आपके मुख्य सचेतक और नेता, विरोधी दल हैं। कोई भी सदस्य कार्यस्थगन देंगे तो उनको नेता, विरोधी दल से अनुमति लेनी पड़ेगी, हस्ताक्षर लेना पड़ेगा। इसलिए यह कार्यस्थगन आर्डर में नहीं है। नियमावली की कंडिका 6 के आलोक में बोल रहा हूं – *'जब किसी संगठित दल या गुट का कोई सदस्य कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना देना चाहे, तब वह प्रथमत: अपने दल या गुट से परामर्श करेगा। यदि दल या गुट यह महसूस करे कि सदन के सामने प्रस्ताव द्वारा लाया जाने वाला विषय उचित रूप से अत्यावश्यक और सार्वजनिक महत्व का है, तो सदस्य को अपनी सूचना अपने दल या गुट नेता, उप नेता, सचिव या सचेतक से समर्पित करानी होगी। किसी भी दशा में इस संबंध में यह विषय सदन के सामने*

लाया जाय या नहीं, सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा।' इसलिए इस मामले को शून्यकाल में उठाइये। आपको मौका दे रहे हैं। आसन के नियमन के उपरांत माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे, श्री संजय प्रसाद एवं श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन के समर्थन में बोलना चाहा, जिसका माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार एवं श्री बिनोद नारायण झा ने विरोध किया। माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने कहा कि अगर आपका आग्रह होगा तो हम सरकार से इसका उत्तर भी दिलवाएंगे परंतु यथावत् नारेबाजी होती रही।

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(नियमन की घोषणा होते ही माननीय नेता, विरोधी दल, श्रीमती राबड़ी देवी, माननीय सदस्यगण, डा. रामचन्द्र पूर्वे, श्री राजेश राम एवं डा. मदन मोहन झा को छोड़कर विपक्ष के माननीय सदस्यगण पोस्टर दिखाते हुए सदन वेश्म में आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।)

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 17 उत्तरित हुआ।
प्रश्न संख्या- 16 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 21 एवं 26 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 36, 37, 39, 42, 45 अनागत हुए।

3. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23.7.2018 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गये-

1. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018
2. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018

यथावत् सदन बेश्म से नारेबाजी होती रही। अंतत: आसन से खड़े होकर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद जब माननीय सदस्यगण आपस में आरोप-प्रत्यारोप करते रहे तब माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

4. औपचारिक कार्य

1. श्री विजय कुमार मिश्र, माननीय अध्यक्ष, याचिका समिति द्वारा समिति का 118वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।।

2. श्री राजेश राम, माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति द्वारा समिति का अंतरिम प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार एवं श्री संजय प्रसाद एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जिसका माननीय सत्तापक्ष की ओर से माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार ने विरोध किया। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सूचित किया कि इसपर सरकार का वक्तव्य है, मैंने उसी समय कह दिया था इसीलिए सरकार का जब वक्तव्य होगा, सरकार पूरी बात बताएगी, उस संबंध में कुछ कहना होगा तो आप कहिएगा। जब सरकार अपना बयान देगी तो जो सवाल आप उठा रहे हैं जो आप कहना चाहेंगे, उस समय कहें।)

5. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा का वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा द्वारा पटना विश्वविद्यालय, पटना का वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर वांछित योग्यताधारी चिकित्सक को पदस्थापित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री रामईशबर महतो द्वारा सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-रमना भासर पंचायत-भासर मच्छाहा में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र को अपग्रेड करने सहित इलाज की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा गयाजी की मोक्षदायिनी अंत:सलिला फल्गू नदी में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय द्वारा राज्य में तेजी से फैल रहे डेंगू, चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं सरकारी अस्पतालों में समुचित इलाज एवं दवा की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री मनोज यादव द्वारा बांका जिला में अवैध बालू खनन कार्य में संवेदकों एवं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

माननीय सदस्य अनुपस्थित।

6. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नूरसराय पथ में हिलसा नगर परिषद् क्षेत्र में डोर नदी पर जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नन्द किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, सर्वश्री रामचन्द्र भारती, दिलीप कुमार चौधरी, डा० रामवचन राय, जावेद इकबाल अंसारी एवं नीरज कुमार द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र के विज्ञापनकर्त्ताओं के लिए लाइसेंस निर्गत करने एवं टैक्स लेने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने आसन से यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, इस काम को जल्द से जल्द करेंगे। माननीय सदस्यों की चिंता से माननीय मंत्री अवगत हुए, अविलंब कार्रवाई करें। ऐसा

नहीं है कि माननीय सदस्यगण की भावना से अवगत नहीं है। इतने सारे माननीय सदस्य डॉक्युमेंट्री प्रूफ के साथ सवाल लाए हैं तो माननीय मंत्री को भी उसपर कार्रवाई करनी होगी।

8. माननीय सदस्य, श्री ललन कुमार सर्राफ द्वारा बिहार के 10+2 विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों को सुसज्जित करने एवं अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

7. **ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य**

माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा के मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल सूत मिल को चालू करने सहित औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री जय कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

8. **राजकीय विधेयक**

1. **बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018**

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया। इस बीच आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र पूर्वे और श्री सुबोध कुमार ने जो संशोधन दिया है, उसे बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 125 के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर दिये गये संशोधन के समर्थन में माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र पूर्वे बोलने लगे तथा उनके साथ विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यगण भी बोलने लगे, जिसका माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय सहित सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने विरोध किया। इसके बाद विरोध पक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गये।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. **बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018**

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथा पारित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही 4.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

(अंतराल)

9. माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना

माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने विभिन्न गृहों/आवासीय संस्थानों के संबंध में बिहार सरकार द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में सदन में वक्तव्य दिया।

10. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. श्री संजीव कुमार सिंह
4. श्री कृष्ण कुमार सिंह
5. श्री सोने लाल मेहता
6. श्रीमती रीना देवी
7. श्री रामचन्द्र भारती
8. प्रो. नवल किशोर यादव
9. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
10. श्री बीरेन्द्र नारायण यादव
11. श्री नीरज कुमार
12. श्री राधाचरण साह
13. श्री सी.पी. सिन्हा
14. श्री संजय प्रसाद
15. श्री सच्चिदानंद राय
16. श्री रामचन्द्र पूर्वे

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 25.7.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

24/07/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 1224 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 24.7.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
24-07-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।